मैसर्स सी0एल0 गुप्ता एक्सपोर्टस लि0, 18 किमी0 दिल्ली–मुरादाबाद (एन0एच0–24), रोड ग्राम–जिवाई, जनपद–अमरोहा की निरीक्षण आख्या।

बोर्ड मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उद्योग का पुनः अद्यतन निरीक्षण दिनांक–01.06.2019 को इकाई प्रतिनिधि श्री ए0के0 जौहरी, प्रबन्धक एच0आर0/एडमिन की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. मैसर्स सी0एल0 गुप्ता एक्सपोर्टस लि0, 18 किमी0 दिल्ली–मुरादाबाद (एन0एच0–24) रोड, ग्राम–जिवाई, जनपद–अमरोहा वर्ष–2001 से स्थापित/संचालित है। उद्योग मेटल एवं वुडेन डिवीजन तथा ग्लास फर्नेश डिवीजन में विभाजित एवं स्थापित है। उद्योग में मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में विभिन्न मेटल, स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास, लकड़ी, मार्बल, प्लेटिंग मेटल कापर, निकिल तथा पावडर कोटिंग पेन्ट, एसिड एवं बार्निश लैकर व अन्य केमिकल्स जैसे–फास्फेटिंग केमिकल, निकिल, कापर, प्लेटिंग केमिकल्स, एसिड, ग्लास कलेट, सिलिका सैण्ड, सोडा ऐश, पैकेजिंग आदि का प्रयोग कर ग्लास, मेटल, वुडेन एवं मार्बल के हैण्डीकाफ्ट आईटम्स का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। उद्योग द्वारा मेटल आर्टवेयर–200 टन/माह, ग्लास आर्ट वेयर 250 टन/माह व वुड आर्टवेयर, 150 टन/माह उत्पादन किये जाने की क्षमता अनुमन्य है। उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एफ 68502/सी–7/58/जल प्रदूषण/बिजनौर दिनांक–20.10.2015 द्वारा सहमति जल वैधता अवधि 31.12.2019 एवं पत्र सं0–एफ 68503/सी–7/45/वायु प्रदूषण/मुरा0/2015 दिनांक–20.10.2015 द्वारा सहमति वायु वैधता अवधि 31.12.2019 प्रदत की गयी है तथा बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–F72473/C-7/Haz. Auth/68/2016 दिनांक–18.01.2016 द्वारा प्राधिकार प्रदान किया है, जोकि दिनांक–17.01.2021 तक वैध है। निरीक्षणोंपरान्त उद्योग में जल/वायु एवं परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों के अनुपालन की स्थिति निम्नवत् पायी गयी :–
2. उद्योग से पेन्ट, थिनर, लैकर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल्स आदि के खाली डिब्बे/कन्टेनर, ऑयल सोकेन काटन एवं रेग्स, डिस्टकार्टेड पेन्ट, पेन्ट/लैकर स्लज, यूज्ड लूब्रीकेन्ट ऑयल आदि भी उत्पादन प्रकियाओं से परिसंकटमय अपशिष्ट जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त नहीं है। उद्योग को मात्र ई0टी0पी स्लज 20 किलोग्राम/दिन के निस्तारण हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त है। उद्योग द्वारा अन्य अपशिष्टों के निस्तारण हेतु ऑन लाइन आवेदन किया गया है, जिसके अनुक्रम में सत्यापन आख्या बोर्ड मुख्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक–465/Haz-34/अमरोहा–2019 दिनांक–14.06.2019 के द्वारा प्रेषित की गयी है।
3. उद्योग द्वारा ग्लास फर्नेश डिवीजन के समीप लगभग 01 टन/दिन क्षमता के थर्मो कोल स्लैब बनाने का कार्य किया गया है। उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 34988/सी–7/जल–58/का0ब0नो0/2019 दिनांक–22.04.2019 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुपालन के अनुकम में उद्योग द्वारा थर्माकोल मैन्यूफैक्चरिंग इकाई के संचालन को स्वतः बन्द कर दिया गया है तथा अग्रिम आदेशों तक बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु उद्योग द्वारा इस आशय का पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। उद्योग द्वारा थर्मो कोल इकाई के पुनः संचालन हेतु सहमति जल/वायु आवेदन पत्र ऑन लाइन प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में सत्यापन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0–463/A&W/सी–15/अमरोहा दिनांक–13.06.2019 द्वारा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित कर दी गयी है।
4. उद्योग द्वारा 01 टन/घंटा क्षमता के ब्यायलर के स्थान पर 04 टन/घंटा स्टीम उत्पादन क्षमता के ब्यायलर की स्थापना की गयी है, जिसकी स्थापना/संचालन हेतु बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं है, इस हेतु उद्योग द्वारा बोर्ड को आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, इसके सम्बन्ध में सत्यापन आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0–463/A&W/सी–15/अमरोहा दिनांक–13.06.2019 द्वारा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित कर दी गयी है।
5. उद्योग में मेटल डिवीजन में पिकलिंग, फास्फेटिंग, इलेक्टोप्लेटिंग प्रकियाओं से निकलने वाले उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है जो कि निरीक्षण के समय संचालित पाया गया। ई0टी0पी0 से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र एवं सील बन्द कर विश्लेषण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ में जमा कराया गया, प्राप्त विश्लेषण आख्या की प्रति संलग्न है। आख्यानुसार एकत्रित उत्प्रवाह में प्रचालकों की मात्रा कमशः पी0एच0–7.56, बी0ओ0डी0–26 मिग्रा0/ली0 एवं सी0ओ0डी0–91 मिग्रा0/ली0, एस0एस0–23.5 मिग्रा0/ली0, जिंक–0.204 मिग्रा0/ली0, कॉपर–बी0डी0एल0, निकिल–एन0डी0 पायी गयी, जो बोर्ड मानको के अनुरूप है।

कमशः.........2...

6. उद्योग में वुडेन डिवीजन में लेकर कोटिंग / पेन्ट कोटिंग प्रक्रिया में पेन्ट वूथ से निकलने वाले उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा शुद्धीकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र एवं सील बन्द कर विश्लेषण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ की प्रयोगशाला में जमा कराया गया है, प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार एकत्रित उत्प्रवाह में प्रचालकों की मात्रा क्रमशः पी0एच0–7.23, बी0ओ0डी0–28 मिग्रा0 / ली0 एवं सी0ओ0डी0–244 मिग्रा0 / ली0, एस0एस0–22 मिग्रा0 / ली0, जिंक–0.293 मिग्रा0 / ली0, कॉपर–0.859 मिग्रा0 / ली0, निकिल–0.969 मिग्रा0 / ली0, फास्फेट–0.265 मिग्रा0 / ली0 पायी गयी, जो मानको के अनुरूप है।
7. उद्योग के ग्लास डिवीजन में फास्फेटिंग एवं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु संयंत्र की स्थापना की गयी है, जो कि संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय शुद्धीकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र एवं सील बन्द कर विश्लेषण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ की प्रयोगशाला में जमा कराया गया है, प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार एकत्रित उत्प्रवाह में प्रचालकों की मात्रा क्रमशः पी0एच0–7.74, बी0ओ0डी0–8.2 मिग्रा0 / ली0 एवं सी0ओ0डी0–92 मिग्रा0 / ली0, एस0एस0–4.8 मिग्रा0 / ली0, जिंक–0.620 मिग्रा0 / ली0, कॉपर–0.149 मिग्रा0 / ली0, निकिल–0.031 मिग्रा0 / ली0, फास्फेट–0.329 मिग्रा0 / ली0 पायी गयी, जो मानको के अनुरूप है।
8. उद्योग में कुल 06 नलकूप स्थापित हैं, जबकि केन्द्रीय भू–जल आयोग से प्राप्त अनुज्ञा पत्र में 02 बोरवैल द्वारा 330 किली0 / दिन जल निकासी की ही अनुमति प्रदान की गयी है। उद्योग में नलकूपों पर मैकेनिकल टाईप के क्रान्ति मेक वाटर फ्लो मीटर स्थापित हैं। इकाई द्वारा शेष 04 नलकूपों को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है।
9. औद्योगिक परिसर से जनित घरेलू वहिश्राव हेतु 60 के0एल0डी0 क्षमता के दो एस0टी0पी0 पूर्व से स्थापित हैं, जिससे शुद्धीकृत उत्प्रवाह को परिसर में गार्डनिंग में प्रयुक्त किया जाता है। उद्योग द्वारा कालोनी परिसर / कैन्टीन आदि के वहिश्राव को सेप्टिक टैंक के माध्यम से शोधित कर उद्योग परिसर के बाहर ग्राम–अम्हेडा जाने वाले मार्ग के किनारे स्थित कच्चे तालाब में निस्तारित किया जाता है, जिसके शुद्धीकरण हेतु (लगभग 60 के0एल0डी0) क्षमता के नये एस0टी0पी0 की स्थापना का कार्य प्रगति पाया गया, जिसका लगभग 70 प्रतिशत कार्य निरीक्षण के समय पूर्ण पाया गया।
10. निरीक्षण के समय उक्त उद्योग के समीप ग्राम–अम्हेडा स्थित मस्जिद तथा ग्राम–कनपुरा के प्राईमरी पाठशाला के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प–2 के जल नमूने एकत्रकर एवं सील कर केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को विश्लेषण हेतु प्रेषित किया गया था। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार हैण्डपम्प के जल नमूने बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

11/7/19
(एस0के0त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

11/7/19
(ए0के0शर्मा)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी